

# होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा तथा आपदा प्रबन्धन, मुख्यालय, मध्यप्रदेश

परिपत्र कं०-21

कमॉक 1037 / निस / डीजी / 2018

भोपाल, दिनांक 05 जुलाई, 2018

जिला एवं ई०ओ०सी० में आपदा बचाव कार्य हेतु उपलब्ध आपदा बचाव से संबंधित उपकरण व सामग्री की जिला सेनानी द्वारा नियमित रूप से संबंधित संभागीय सेनानी जिले के भ्रमण/निरीक्षण के दौरान बारीकी से समीक्षा की जावे। यदि किसी उपकरण व सामग्री में कोई खराबी हो तो उसे शीघ्र ठीक कराने अथवा बदलवाने जैसा भी आवश्यक हो तदनुसार कार्यवाही की जावे, ताकि आपदा एवं आपातकालीन परिस्थितियों में आवश्यक उपकरण व सामग्री बिना समय गंवाये अच्छी हालत में उपलब्ध हो सकें।

2- उक्त निर्देशों के उपरान्त किसी जिले से शिकायत मिलने पर अथवा यदि चेक करने पर बचाव उपकरण व सामग्री अच्छी हालत में नहीं पाई जाती है, तो संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

3- मानसून वर्ष 2018 में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से निपटने की पूर्व तैयारी के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में राहत आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन से जिला कलेक्टरों को आवंटित बजट का जिला कलेक्टर एवं संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से स्वयं सम्पर्क कर राशि का आपदा प्रबंधन संबंधी उपकरण क्रय/मरम्मत/मोटर बोट के लिए पी०ओ०एल० / ई०ओ०सी० के दूरभाष देयकों का भुगतान इत्यादि कार्य हेतु समुचित उपयोग करना सुनिश्चित करें।

011

(महान भारत सागर)

महानिदेशक,

होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन,  
मध्यप्रदेश

पृ० कमॉक 1038 / निस / डीजी / 2018

भोपाल, दिनांक 05 जुलाई, 2018

प्रतिलिपि:-

- 1- अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, होमगार्ड मध्यप्रदेश जबलपुर।
  - 2- अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एस०डी०ई०आर०एफ, मध्यप्रदेश भोपाल।
  - 3- एडीशनल कमाण्डेण्ट जनरल, होमगार्ड मध्यप्रदेश, जबलपुर।
  - 4- उप महानिरीक्षक, एस०डी०ई०आर०एफ, म०प्र० भोपाल।
  - 5- समस्त डिवीजनल कमाण्डेण्ट, होमगार्ड/आपदा प्रबंधन, मध्यप्रदेश।
  - 6- समस्त डिस्ट्रिक्ट कमाण्डेण्ट, होमगार्ड/आपदा प्रबंधन, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

011

महानिदेशक,

होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन,  
मध्यप्रदेश